अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2017 अनवानी श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री लालचंद निवासी 1/36,37 हाउसिंग बोर्ड, गुरूनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर

24.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2017 के द्वारा जिला खाद्य व वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः—

Web Copy - Not Official

> उचित मूल्य की दुकान (डिपो) आशा सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड न0 नया 6 पुराना 5 बीः—
> 1— ए.पी.एल. कार्ड होल्डरो की सूची मय पता
> 2— बी.पी.एल. कार्ड होल्डरो की सूचि मय पता
> 3— अन्तोदय व आस्था कार्ड होल्डरो की सूची मय पता
> 4— अप्रेल 2015 से आज तक इस दुकान को आवंटित किया गया व इस द्वारा उठाया गया गेहूं, केरोसीन, तेल, चीनी व अन्य वस्तुओ की मात्रा तथा डिपो होल्डरो द्वारा वितरण न होने की स्थिति में यदि विभाग में जमा किया गया है तो उसकी भी माहवार मात्रा।
> 5— प्रत्येक वस्तु में दुकानदार का लाभांश प्रतिशत की जानकारी देने वाले दस्तावेजो का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतियां।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 3079 दिनांक 18.05.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को पत्र सं0 2834 दिनांक 02.05.17 के द्वारा सूचित किया गया है कि वार्ड न0 नया 6 पुराना 5 बी, श्रीगंगानगर में आशा सहकारी उपभोक्ता भण्डार की दुकान संचालित नही है। उक्त वार्ड में उक्त नाम की फर्म नही होने के कारण फर्म से संबंधित सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 2834 दिनांक 02.05.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः—

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आरटीआई प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि वार्ड न0 नया 6 पुराना 5 बी, श्रीगंगानगर में आशा सहकारी उपभोक्ता भण्डार की दुकान संचालित नही है। अतः उक्त वार्ड में उक्त नाम की फर्म नही होने के कारण फर्म से संबंधित सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती।
> इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

चूंकि अपीलार्थी ने उचित मूल्य की दुकान आशा सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड न0 नया 6 पुराना 5 बी के संबंध में उक्त 5 बिन्दुओ की सूचना चाही थीं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02.05.17 को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार वार्ड न0 नया 6 पुराना 5 बी श्रीगंगानगर में आशा सहकारी उपभोक्ता भण्डार की दुकान संचालित नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने के संबंध में अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 02.05.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर